<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक: 05ए / 16</u> <u>संस्थापन दिनांक: 04 / 03 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504000252014

- 1. मैतू पिता भिकारी, उम्र 55 वर्ष
- 2. चैतराम पिता भिकारी, उम्र 60 वर्ष
- 3. खिमया पति तुलसीराम, उम्र 48 वर्ष
- 4. भागवन्ती पिता तुलसीराम, उम्र 20 वर्ष
- 5. चम्पा पिता तुलसीराम, उम्र 17 वर्ष
- 6. दलीराम पिता तुलसीराम, उम्र 14 वर्ष

वि रू द्ध

- भूता पिता तेजी, उम्र 65 वर्ष निवासी कलमेश्वरा, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- झण्डू पिता लाले, उम्र 40 वर्ष निवासी कुमिनडोल, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 3. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 26.04.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत अंतरिम आवेदन कमांक 01 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

- 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होकर मूल पुरूष तेजी के वारसान हैं। वादीगण की खानदानी कृषि भूमि ख.नं. 231/1, 232/2, 234/1, 258/1, 259/1 रकबा क्रमशः 1.046, 0.908, 3.669, 0.447, 3.485 हे. है। वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पिता भिकारी, प्रतिवादी कृ. भूता एवं प्रतिवादी कृ. 02 की मां मीरा का नाम दर्ज है। इनकी मृत्यु उपरांत फौती नामांतरण न होने से वादीगण का उपर्युक्त विवादित भूमियों पर नाम दर्ज नहीं हुआ है। उपर्युक्त विवादित भूमियों का करीब 50 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था जिसमें आधा हिस्सा रकबा 4.776 हे. वादी के पिता भिकारी को प्राप्त हुआ था तथा भिकारी की मृत्यु उपरांत वादीगण का निरंतर उपर्युक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वर्ष 2013 में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के हिस्से की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। वर्तमान में उपर्युक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है और प्रतिवादीगण उसे विक्य करने के लिए प्रयासरत हैं। अतः वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि का विक्य करने से निषेधित किया जावे।
- 3 प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जबाव पेश कर उसमें यह लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का नाम लेख नहीं है, उनका विवादित भूमि पर कोई अधिकार और हित नहीं है। वर्तमान में विवादित भूमि पर मात्र प्रतिवादीगण का कब्जा है जिसे स्वयं वादीगण ने स्वीकार किया है। अतः वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 वादीगण द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से यह बताया गया है कि विवादित भूमि पर उनके पिता भिकारी का नाम लेख है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में भिकारी का नाम प्रतिवादी कृ. 01 भूता एवं मीरा के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी के पिता भिकारी की मृत्यू हो जाने के बाद भी वारसाना नामांतरण में भिकारी के वारसानों का नाम दर्ज नहीं हो पाया है। जबकि विवादित भूमि पर भिकारी को अपने पिता से आधा हिस्सा बंटवारे में प्राप्त हुआ था।

वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1971—72 प्रस्तुत किया गया है जिसके अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 231, 232, 234, 258 एवं 259 पर तेजी एवं बेनी वल्द दुल्ली का नाम दर्ज है तथा खसरा पांचसाला वर्ष 2008 से 2013 के अवलोकन से विवादित भूमि पर वादी के पिता भिकारी, प्रतिवादी क. 01 भूता एवं मीरा का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है। यद्यपि वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि उपर्युक्त विवादित भूमि में से आधा हिस्सा बंटवारे में वादी के पिता भिकारी को प्राप्त हुआ परंतु बंटवारे के संबंध में कोई भी दस्तावेज वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं परंतु वर्तमान में विवादित भूमि पर वादी के पिता भिकारी का भी नाम दर्ज है। अतः स्वत्व की घोषणा के संबंध में वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

- वादीगण के द्वारा अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से मात्र विवादित भूमि के अंतरण को निषेधित किये जाने की सहायता चाही गयी है। विवादित भूमियों पर वादीगण के पिता भिकारी का नाम लेख है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में पाया गया है । यदि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि का विक्रय कर दिया जाता है तो निश्चित ही वादीगण को केता को भी पक्षकार बनाना होगा जिससे वाद बाहुल्यता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि प्रतिवादी के द्वारा विक्रय किये जाने की आवश्यकता प्रकट नहीं की गयी है। अतः प्रतिवादीगण को कोई क्षति होना भी प्रकट नहीं होती है।
- 8 अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षिति का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में प्रमाणित पाया जाता है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता आई.ए. नं. 01 स्वीकार कर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे प्रकरण के निराकरण तक विवादित भूमि ख.नं. 231/1, 232/2, 234/1, 258/1, 259/1 रकबा क्रमशः 1.046, 0.908, 3.669, 0.447, 3.485 हे. का, स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण न करें।

9 आवेदन के निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल